वाद सं0- 291　　　　न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर सुलतानपुर ।

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0
ग्राम पयागीपुर परगना मीरानपुर
तहसील सदर जिला सुलतानपुर

गनपत सहाय पी0जी0 कालेज सुलतानपुर　　　　बनाम　　　　उ0प्र0 सरकार ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद गनपत सहाय पी0जी0 कालेज सुलतानपुर पयागीपुर सुलतानपुर द्वारा प्रबन्धक ओम प्रकाश पाण्डेय पुत्र श्री गिरीशचन्द्र पाण्डेय निवासी विनोवापुरी, लोलेपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर ने गाटा सं0 353 मि0/0.005, 352 मि0/0.037, 354 मि0/0.097, 355/0.815, 361/0.073 हे0 स्थित ग्राम पयागीपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर के सम्बन्ध में धारा 143 ज0वि0अ0 के अन्तर्गत योजित करते हुए अकृषिक/आबादी प्रख्यापित किये जाने की याचना किया है। पत्रावली स्थलीय आख्या हेतु तहसील भेजी गयी। तहसील से विस्तृत एवं नियम 135 ज0वि0अ0 के प्रारूप पर आख्या संलग्न पत्रावली है। तहसील आख्या में क्षेत्रीय लेखपाल ने यह दर्शाया है कि वाद भूमि विद्यालय के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है तथा मौके पर वाद भूमि में बी0एड0 एम0एड0 विभाग, कामर्स विभाग, विधि विभाग, स्टाफ रूम व हाल बने हुए है जिसमें कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अकृषिक प्रयोग में लाया जा रहा है। जिसे तहसीलदार सदर द्वारा दिनांक 12.2.2013 को संस्तुति सहित आख्या प्रेषित किया गया है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध तहसील आख्या, उद्धरण खतौनी सन 1416--1421 फ0 की खाता सं0 201, 329, 145 ग्राम पयागीपुर, विकय पत्र की छायाप्रति एवं अगल बगल के सह खातेदारों की सहमति पत्र का विधिवत अवलोकन एवं परीक्षण किया तथा वादी को सुना। पत्रावली में उपलब्ध उद्धरण खतौनी को देखने से स्पष्ट है कि वाद भूमि विद्यालय के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। तहसील आख्या को देखने से स्पष्ट है कि मौके पर वाद भूमि में बी0एड0, एम0एड0 विभाग, कामर्स विभाग, विधि विभाग, स्टाफ रूम व हाल बने हुए हैं जिसमें कृषि कार्य नही हो रहा है। खाते के अन्य सह खातेदारों के सहमति पत्र को देखने से स्पष्ट है कि वादी के अंश को अकृषिक/आबादी प्रख्यापित किये जाने में उन लोगों को कोई आपत्ति नही है। अतः वाद भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नही प्रतीत होती है।

आदेश

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आलोक में आदेश किया जाता है कि उद्धरण खतौनी सन 1416–1421 फ0 के खाता सं0 201, 329, 145 की कमशः गाटा सं0 355/0.815, 361/0.073, 354मि0/0.097, 352मि0/0.037, 353क/0.005 कुल पांच किता क्षेत्रफल 1.027 हे0 स्थित ग्राम पयागीपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर को अकृषिक/आबादी प्रख्यापित किया जाता है। तदनुसार अभिलेखों में अंकित हो। वाद भूमि भू–राजस्व से मुक्त हो। आदेश की प्रति उप निबन्धक सदर को भेजी जाए। बाद परवाना अमलदरामद पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांक–

30/8/13

(डा0एस0एन0सिंह)
उप जिलाधिकारी सदर,
सुलतानपुर।

NOTARY
RAJENDRA PRASAD
ADVOCATE
TEHSIL SADAR
DISTT. SULTANPUR
U.P.

2569
30-8-13
13=00
31-8-13
31-8-13

सत्य-प्रतिलिपि

31/8/13

प्रबन्धक/सचिव
गनपत सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सुलतानपुर (उ0प्र0) 228001

Scanned with CamScanner